

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
बल्लभ भवन मंत्रालय  
// आदेश //

भोपाल दिनांक 02/12/2022

क्रमांक 1/1/20/0009/2022-ESTB-FWAD :: कार्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र./स्था.-3/शिका./2022-23/1975 दिनांक 13.10.2022 शाना कोतवाली जिला शिवपुरी के अनुसार श्री अशोक राठौर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को प्रकरण क्र. 1580/15 धारा 294,352,353,506(वी) भादवि एवं 3(1)10, 3(1)7 एम.सी.एम.टी. एक्ट में दिनांक 18.09.2022 को अपराह्न 4:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

2/ कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्र./2932/वारण्ट/2022 शिवपुरी दिनांक 24.09.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 19.09.2022 को दोपहर 2:15 बजे पर श्री राठौर को जेल दाखिल किया गया एवं दिनांक 20.09.2022 को गांव 6:10 पर जमानत पर रिहा किया गया।

3/ अतः राज्य शासन एतद द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग-4 निलंबन नियम-9 "क" के अनुसार श्री अशोक राठौर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय संयुक्त संचालक जबलपुर कार्यालय रहेगा। निलंबन अवधि में श्री राठौर को निवमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पावता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(वसुधा वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल दिनांक 02/12/2022

पृ. 1/1/20/0009/2022-ESTB-FWAD

प्रतिलिपि-

- 1- विशेष सहायक, मान 0 मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- 2- स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- 3- आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश
- 4- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल
- 5- कलेक्टर, जिला- कटनी मध्यप्रदेश
- 6- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग जबलपुर
- 7- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कटनी मध्यप्रदेश
- 8- परियोजना संचालक आत्मा समिति, कटनी मध्यप्रदेश
- 9- प्रान्तिय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कटनी मध्यप्रदेश
- 10- संबंधित अधिकारी.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग